सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 880
05/11/2018

शहरी क्षेत्रों से सटे ''पेरिफेरल क्षेत्र'' एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भूमि अधिग्रहण के लिए दूरी के आधार पर गुणक फैक्टर लागू

पटना, 05 नवम्बर, 2018 ::– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अश्धिकार अधिनियम, 2013 के अधीन लोकहित में किसी परियोजना हेतु भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामलों में शहरी क्षेत्र, पेरिफेरल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अर्जन से प्रभावित हितबद्ध भू–धारियों को पारदर्शी तरीके से उचित एवं समानुपातिक प्रतिकर की राशि का भुगतान के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों से सटे ''पेरिफेरल क्षेत्र'' एवं ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजा के निर्धारण हेतु दूरी के आधार पर रीति में गुणक फैक्टर (Multiplier Factor) विनिश्चित किया गया है।

प्राप्त सूचनानुसार, नगर निगम क्षेत्र के लिए 0 से 08 कि0मी0– 1.25, 08 से 10 कि0मी0– 1.50 एवं 10 कि0मी0 से अधिक– 02 निर्धारित किया गया है।

नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 0 से 04 कि0मी0– 1.5, 04 से 06 कि0मी0– 1.75 एवं 06 कि0मी0 से अधिक– 02 निर्धारित किया गया है।

नगर पंचायत् क्षेत्र के लिए 0 से 02 कि0मी0– 1.75, 02 से 04 कि0मी0– 1.85 एवं 04 कि0मी0 से अधिक– 02 निर्धारित किया गया है।

यह दर दिनांक 23 अक्तूबर, 2018 से प्रभावी है।

————————

संख्या– 881
05/11/2018

निर्माण कार्य कार्य हेतु राशि स्वीकृत

पटना, 05 नवम्बर :: जल संसाधन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, पटना जिला के बाढ़ एवं पंडारक प्रखण्डान्तर्गत सरकट्टी, ललपुरा, कोन्दी, दर्वे भदौर, बथोई एवं शोभाटीका–सिरसी जमींदारी बांध का उच्चीकरण सदृढ़ीकरण एवं बॉक्स कल्भेट निर्माण कार्य हेतु 1426.50 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

इस कार्य के लिए नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर होंगे।

इस कार्य को दिनांक 15–5–2020 तक पूर्ण कर लेने का कार्यक्रम है।

————————